आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

बी0एल0डी0आर0–वाद संख्या–180 / 22
गणेश सहनी व अन्य
बनाम्
मंगल सहनी व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
11.05.2023	यह बी0एल0डी0आर0 अपील वाद गणेश सहनी, पिता–साधु सहनी एवं अन्य में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चकिया, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने वाद संख्या–बी0एल0डी0आर0–15 / 2020–21 में दिनांक–04.06.2022 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया है। विवादित भूमि पूर्वी चम्पारण जिले के चकिया अंचल अन्तर्गत मौजा–बैसाहा के खाता संख्या–66 खेसरा संख्या–12 में अवस्थित है तथा कुल विवादित रकवा 6.40 डी0 है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विवादित भूमि अपीलकर्ता के पूर्वज विगन सहनी, वल्द–जामा सहनी एवं अन्य के नाम से खतियान में दर्ज है। अंचल कार्यालय चकिया के जमाबंदी पंजी में जमाबंदी संख्या–77 भी कायम है जिसका लगान भी अपीलकर्ता देते आ रहे हैं। अपीलकर्ता के पूर्वज द्वारा प्रश्नगत भूमि को भरना के रूप में बिहारी सहनी, मटुकधारी सहनी, शिवधारी सहनी एवं बंशी सहनी, पिता–साधु सहनी को बतौर लिखित कागजात बनाकर दिए। प्रश्नगत भूमि को पूर्वजों द्वारा भरना मुक्त भी कराया	

WEB COPY NOT OFFICIAL

गया तबसे विवादित भूमि अपीलकर्ता के दखल कब्जे में है। विवादित भूमि का चौहद्दी इस प्रकार है – उत्तर में सिवान वालोचक, चक्षिण में नदी, पूरब में गोरखलाल एवं पश्चिम में गोनौर सिंह, ग्राम–बैशाहा, अंचल चकिया, पो0–बाड़ा चकिया, जिला–पूर्वी चम्पारण। विपक्षी द्वारा जानबुझकर मेरे (अपीलकर्ता) खतियानी भूमि को भरना के कागजातों को हीं दस्तावेजों का स्वरूप मानकर जबरदस्ती गसबन कर लिए जिसके विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता चकिया, पूर्वी चम्पारण के न्यायालय में गसबन से मुक्त करने के लिए मुकदमा दायर किया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा बिना स्थल जाँच किए विपक्षी के मेल में आकर मेरे द्वारा दायर बी0एल0डी0आर0 वाद संख्या–15/2020–21 में प्रश्नगत भूमि को हकीयत एवं स्वत्व से सम्बन्धित मानकर दिनांक–04.06.2022 को आदेश पारित कर दिया जो गलत एवं निरस्त होने योग्य है ।

सरकार की ओर से उपस्थित सरकारी विद्वान अधिवक्ता ने बताया की प्रश्नगत मामला स्वत्व/हकियत से संबंधित है जिसका निराकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का दावा खतियानी हक एवं विपक्षीयों का दावा दस्तावेजों के आधार पर किया गया है। साथ ही अपीलार्थी का दावा हक एवं गसबन भूमि का दखल दिलाने से सम्बन्धित है। जिसके निराकरण के लिए यह न्यायालय सक्षम न्यायालय नहीं है। क्योंकि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम–2009 के नियम 4 (3) ***" सक्षम प्राधिकार को आवंटी/बंदोबस्तधारी या किसी रैयत के किन्ही नए अधिकरों, जो अब तक निर्धारित नहीं हुए हैं तथा जिन्हे अनुसूची–1 में शामिल किसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होना आवश्यक***

WEB COPY NOT OFFICIAL

होता है, का न्याय निर्णय करने का अधिकार नहीं होगा।'' एवं (5) में स्पष्ट रुप से अंकित है कि *''जहॉ कहीं भी सक्षम प्राधिकार को यह प्रतीत होता है कि उसके समक्ष दायर वाद में स्वत्व न्याय–निर्णित करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित है, वह कार्यवाही बंद कर देगा तथा पक्षकार उचित व्यवहार न्यायालय के समक्ष उपचारों की याचना के लिए स्वतंत्र होंगे।''*

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद अधिग्रहण के बिन्दु पर ही अस्वीकृत करते हुए अपीलकर्ता को सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने के निदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL